

# मध्यप्रदेश विधान सभा



सितम्बर, 2020 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

### सोमवार, दिनांक 21 सितम्बर, 2020 की अनुपूरक कार्य सूची

कार्य सूची के पद 13 शासकीय विधि विषयक कार्य के उपपद (4) के पश्चात् उपपद (5), (6) एवं (7) को निम्नानुसार जोड़कर पढ़ा जाए :-

(5) (क) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 15 सन् 2020) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(ख) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगर पालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 15 सन् 2020) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(6) (क) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 7 सन् 2020) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(ख) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश साहूकार (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 7 सन् 2020) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(7) (क) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक, 2020 (क्रमांक 16 सन् 2020) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(ख) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक, 2020 (क्रमांक 16 सन् 2020) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :  
दिनांक : 21 सितम्बर, 2020.

ए. पी. सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.